शोध मंथन, Impact Factor 5.463 (SJIF), UGC No. 40908 ISSN: (P): 0976-5255, (e) : 2454-339X,
Vol. 9, Issue 4, pp (127-141), Month: Dec. 2018

पंचवर्षीय योजना के माध्यम से उच्च स्तरीय शिक्षा की गुणवत्ता को अन्तरराष्ट्रीय स्तर तक ले जाने हेतु किये जा रहे प्रयासो की समीक्षा

विवेकानंद
सहयक शोध अधिकारी, संस्थागत वित्त,
बीमा एवं बाह्य सहायतित परियोजना महानिदेशालय,
उ०प्र०, लखनऊ,
Email: vivekanand.salawa@gmail.com

डॉ0 स्नेहवीर सिंह
विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान,
दिगम्बर जैन कॉलेज बडौत
उ०प्र०, भारत ।

सारांश

आज दुनिया के सभी देश समग्र विकास के स्तर को प्राप्त करने की तरफ अपनी समस्त संसाधनों का प्रयोग करते हुए अग्रसर है। इस प्रतिस्पर्धा में भारतीय अर्थव्यवस्था को तीर्व गति प्रदान करने के लिए उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त कुशल नागरिकों की आवश्यकता है, जो भारत वर्ष को विकासशील अर्थवयवस्था के स्तर से विकसित अर्थव्यवस्था के स्तर तक अल्प समय में पहुचां दे। इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु उच्च स्तरीय शिक्षा व शोध की गुणवत्ता को सुधारने हेतु भारत सरकार की ग्यारवीं पंचवर्षीय योजना (वर्ष 2007–2012) में वर्णित प्रावधानों की उपलब्धियाँ व अप्राप्त लक्ष्यो को आधार मानकर तैयार बाहरवी पंचवर्षीय योजना (वर्ष 2012–2017) में उच्च स्तरीय शिक्षा के सुधार हेतु किये गये प्रवाधानो की समीक्षा तथा निर्धारित सकल नामांकन अनुपात के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु किये जा रहे प्रयासों को अधिक प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किये जाने की आवश्यकता से सम्बंधित अध्ययन इस शोध लेख में किया गया है।

प्रस्तावना

मानव संसाधन की वृद्धि व विकास के लिए उच्च शिक्षा बहुत ही महत्त्वपूर्ण साधन है, जो कि आर्थिक विकास की गति को तीव्रता प्रदान करने हेतु अनिवार्य भी है! डॉ० डी० एस० कौठारी की अध्यक्षता में गठित शिक्षा आयोग (1964–1965) ने शिक्षा व विकास के मध्य सीधे सीधे सम्बन्ध को प्रतिपादित कर के भारतीय उच्च शिक्षा के भविष्य के सम्बन्ध में डॉ० सर्वपल्ली राधा कृष्णनन की अध्यक्षता में गठित शिक्षा आयोग (1948 –1949) द्वारा दी गयी संस्तुतियों की पुष्टि की, जिस कारण कौठारी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्र की उच्च शिक्षा के विकास हेतु सही दिशा प्रदान करने के लिए नई शिक्षा नीती (1986) (एन०पी०ई०) व कार्यन्वयन कार्यक्रम (1992) को अस्तित्व मे लाया गया। निष्पक्षता, गुणवत्ता व उत्कृष्टता, प्रासंगिकता व समाजिक मूल्यों की वृद्धि को मुख्य लक्ष्य मानकर एन० पी० ई० (1986) को सूत्रबद्ध किया गया। उच्च शिक्षा के विकास के सम्बन्ध में बनायी गयी नीति व योजनाओ की ससमय सतत समीक्षा करने के लिए, साथ ही उनमें राष्ट्र की सामाजिक और आर्थिक स्तिथि के अनुसार परिवर्तन करने व

उनके स्थान पर नयी योजनाए बनाने के लिए पंचवर्षीय योजना में प्रावधान किया जा चुका है।

विश्व बैंक व यू० एन० ई० एस० सी० ओ० की वर्ष 2000 में गठित टास्क फ़ोर्स द्वारा भी मजदूरी व उत्पादकता की वृद्धि हेतु, जिसका सीधा सम्बन्ध व्यक्ति व समाजिक उत्थान से है, में उच्च शिक्षा की महत्ता पर बल दिया गया है। भारत वर्ष की उच्च शिक्षा व्यवस्था संसार की बड़ी उच्च शिक्षा व्यवस्थाओ में से एक है। देश की इस व्यवस्था को सुचारू रूप से कार्यान्वित करने के लिए उच्च शिक्षा का प्रबंधन, पुनर्विन्यास व गुणवत्ता का आसवासन इन तीन विषय को केंद्र मानते हुवे वर्ष 2003 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गोल्डन जुबली सेमीनार सम्पन्न कराया गया। तदोपरान्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षा में कम सकल नामांकन अनुपात, अंतर क्षेत्रीय सकल नामांकन अनुपात में विभिन्नता, विभिन्न सामाजिक समुह की असाम्यपूर्ण पहुंच, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता, योग्य व समर्पित शिक्षकों की कमी, और वित्तीय समस्याओं जैसी सभी समस्याओं को उजागर किया ।

भारत सरकार की ग्यारवी पंचवर्षीय योजना (वर्ष 2007–2012) में उच्च शिक्षा की स्तिथि को सुधारने हेतु राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (एन०के० सी०) व यशपाल आयोग द्वारा की गयी संस्तुतियो को स्वीकृति प्रदान करते हुवे कार्यनीति तैयार की गयी एवं उच्च शिक्षा में कम सकल नामांकन अनुपात, उच्च शिक्षा के पहुंच तक अंतर–प्रदेश, अंतरजनपदीय असमानताएं, ग्रामीण–शहरी अंतर, अन्तर–जातीय, अंतर–धार्मिक, पुरुष–स्त्री, गरीब–अमीर असमानताएं, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता व प्रासंगिकता, महाविद्यालय व विश्वविद्यालय में शैक्षिक सुधार, निजी शैक्षिक संस्थान अधिनियम पर ध्यान केन्द्रित किया गया। जिसके द्वारा समग्रता, गुणवत्ता, प्रासंगिकता और शैक्षिक सुधार के साथ उच्च शिक्षा का विस्तार किया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ० मनमोहन सिंह ने इस योजना को "शिक्षा योजना" के नाम से सम्बोधित किया। योजनान्तर्गत उच्च शिक्षा में 15% सकल नामांकन अनुपात के लक्ष्य को निर्धारित किया गया जो कि गत पंचवर्षीय योजना तक 10% थी व वित्तीय आवंटन को रु० 3,294 करोड़ से बड़ाकर रु० 47,000 करोड़ कर दिया गया।

योजनान्तर्गत आलोच्य अवधि में तीन सौ चौहतर नये महाविद्यालय उन पिछड़े जनपदों में खोले जिनका उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात राष्ट्रीय स्तर से कम पाया गया, सोलह नये केंद्रीय विश्वविद्यालय खोले गये व पैतालीस मॉडल महाविद्यालय की स्वीकृति दी जा चुकी है। लडकियों के लिए छात्रावास का निर्माण हेतु बजट का आवंटन के साथ साथ उच्च शिक्षा में उनकी भागीदारी बढाने के लिए बनायी योजना के परिणाम संतोषजनक रहे। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की उच्च शिक्षा में पंजीकरण दर क्रमशः 11.6% व 9.8% रही इसी के साथ डाक्टरल स्तर पर यह दर क्रमशः 11% व 4% रही। अल्पसंख्यक समुदायों के उच्च शिक्षा स्तर में वृद्धि करने हेतु बनायी गयी योजना को 90 अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में से 57 जनपदों में लागू किया गया। केंद्रीय महाविद्यालयों की सीटो में 27% अन्य पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षण को भी लागु किया गया। संस्थान स्तर पर शैक्षिक सुधार, आई० सी० टी० के माध्यम से शिक्षा में राष्ट्रीय मिशन प्रारंभ किया, मुक्त व दूरस्थ शिक्षा की व्यवस्था, कॉपीराइट एक्ट (1957) में संशोधन, अन्वेषण विश्वविद्यालय की स्थापना, राष्ट्रीय भाषांतर मिशन, भाषा विकास, राष्ट्रीय संस्कृत

संस्थान, शैक्षिक अधिकरण बिल, डीम्ड विश्वविद्यालय की समीक्षा, विदेशी शैक्षिक संस्थान (प्रवेश व कार्यन्वयन अधिनियम), के माध्यम से शैक्षिक सुधार सुनिश्चित करने का सफल प्रयास किया गया।

इक्कीसवीं शताब्दी में उच्च शिक्षा राष्ट्र निर्माण हेतु ज्ञान आधारित समाज बनाने के लिए शक्तिशाली साधन है इसी क्रम में बाहरवी पंचवर्षीय योंजना का मसौदा तैयार करने हेतु योजना आयोग द्वारा गठित कार्यकारी दल ने सितम्बर 2011 में प्रस्तावित संस्तुतियो में विस्तार, समावेश व उत्कृष्टता रूपी तीन स्तंभों पर बल दिया। जिससे सकल नामांकन अनुपात को योजना अंतर्गत आलोच्य अवधि में 21% तक ले जाया जा सके और इसको वर्ष 2020 तक बढाकर 30% किया जा सके। विभिन्न समितियों व रिपोर्ट (तालिका 1) पर आधारित उच्च व व्यवसायिक शिक्षा हेतु निर्मित परिचालन समिती द्वारा अक्टूबर 2011 में की गयी संस्तुतियो के अंतर्गत योंजना की पद्धति और कार्यनीति में पहुच, समानता व विस्तार हेतु प्रोत्साहन योजना, संरचना के लिए घ्ण का पुनर्वित्त, सार्वजानिक संस्थाओ की संरचना हेतु वित्तपोषण, महाविद्यालय व विश्वविद्यालय को शक्तिशाली करना, मांग व आपूर्ति संबधी हस्तक्षेप और गुणवत्ता व उत्कृष्टता के लिए शोध व अन्वेषण, संरचना, संशोधन, सुविधा की गुणवत्ता, नियामक सुधार, शिक्षकों का अभाव, मानदंड आधारित वित्त पोषण, विद्यमान संस्थाओं की क्षमता को संघटित रूप से बढ़ाना, पुनर्गठन करना व गुणवत्ता में वृद्धि करने पर विशेष बल दिया है। योजनान्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए रु० 1,84,740 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है।

देश की वर्तामान उच्चतर शिक्षा प्रणाली को ओर सुद्ढ करने हेतु बारहवी पंचवर्शीय योजना में समावेश, गुणवत्ता व संगत शिक्षा के साथ साथ विश्वविद्यालय व महाविद्यालयों प्रणाली में आवश्यक शैक्षिक सुधारो के माध्यम से उच्चतर शिक्षा में नामांकन में वृद्धि, संस्थागत क्षमता व दाखिले की क्षमता में वृद्धि के माध्यम से उच्चतर शिक्षा की पहुंच व विस्तार में वृद्धि तथा विभिन्न समूहों को पहुंच के समान अवसर प्राप्त करवा कर समावेशी शिक्षा को बढावा देने के सम्बन्ध में कार्यनीति व योजनायें तैयार की गयी है। अनुभाग 2 में उच्चतर शिक्षा का विस्तार व सुदृढ़ीकरण, अनुभाग 3, 4, 5 में क्रमशः उच्चतर शिक्षा में निष्पक्षता व समावेश, गुणवत्ता व उत्कृष्टता, प्रसांगिक और मूल्य आधारित शिक्षा सम्बन्धित 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना में किये गये कार्यो के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है, और अंत में अनुभाग 6 में निष्कर्ष दिया गया है।

उच्चतर शिक्षा का विस्तार व सुद्र्डीकारण

स्वतंत्रता के समय उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में कुल 2.1 लाख छात्रों के साथ देश में २० विश्वविद्यालय और ५०० महाविद्यालय थे। जो कि वर्ष 2006 में बढकर 1.12 करोड़ छात्रों के साथ विश्वविद्यालय और महाविद्यालय की संख्या क्रमशः 367, व 18,064 हो गयी। दसवी पंचवर्षीय योजना तक देश की उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 10% थी, जो कि संसार के अन्य देशों की अपेक्षा काफी कम रही। भूमंडलीकरण के इस युग में देश की आर्थिक विकास को तीर्व गति प्रदान करने के लिए उच्चतर शिक्षा की बढती मांग को पूरा करने की दिशा में पहल करते हुवे ग्यारवी पंचवर्षीय योजना में कार्यरत संस्थानों की अंतर्ग्रहण क्षमता वृद्धि करने व संस्थानों

की संख्या बढने हेतु दोहरी कार्यनीति तैयार की गयी। योजनान्तर्गत आलोच्य अवधि में निर्धारित 15% सकल नामांकन अनुपात लक्ष्य प्राप्त किया गया, साथ ही बिहार, झारखण्ड, उड़ीसा, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचलप्रदेश, जम्मूकश्मीर, कर्नाटक, केरला, गोवा, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडू, 16 नये केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया। सकल नामांकन अनुपात में राष्ट्रीय स्तर से पिछड़े 374 जनपदों में महाविद्यालय स्थापित करने हेतु सकल कीमत का 33% जो रु० 2.67 करोड़ से ज्यादा ना हो केंद्र सरकार द्वारा सहायतित किया गया व विशेष दर्जा प्राप्त राज्यो के लिए यह सहायता कुल कीमत की 50%, जो रु० 4.00 करोड़ तक हो, दी गयी। 167 विश्वविद्यालय व 6000 महाविद्यालय को अंतर्ग्रहण क्षमता वृद्धि व विकास के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि० अ० आ०) द्वारा सहायता दी गयी। महिला छात्रावास निर्माण हेतु उन सभी महाविद्यालय को वि० अ० आ० द्वार रु० 60 लाख से रु० 2 करोड़ तक उनकी महिला नामांकन क्षमता व स्थान के अनुसार सहायता प्रदान की गयी जो वि० अ० आ० एक्ट की धारा 12 बी अंतर्गत वित्तीयपोषण हेतु योग्य है।

12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में नामांकन अनुपात को 15% से बढाकर 30% के स्तर पर ले जाने का लक्ष्य रखा गया। 15% की निवल वृद्धि को प्राप्त करने हेतु दोहरी रणनीति निश्चित की गयी जिसमे शैक्षिक संस्थानों की संख्या में वृद्धि तथा मौजूदा संस्थाओं की नामाकंन की क्षमता को बढ़ाना शामिल है। साथ ही उन जनपदों में सकल नामांकन दर में वृद्धि करना जिनकी उच्चतर शिक्षा का स्तर सीमित है। नौजवानों को उच्चतर शिक्षा की और आकर्षित करने हेतु सर्व शिक्षा अभियान की तरह ही राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान (रूसा) प्रराभ्म किया गया ! नौकरी व व्यवसाय करने वालो के लिए एवीनिंग कौर्स व कक्षाओं के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया जिससे की महाविद्यालयों के स्थापित श्रोतों को 16–18 घंटे तक उपयोग में लाया जा सके।

वर्ष 2014–15 के दौरान देश में कुल मिलाकर 1147 महाविद्यालय स्थापित किये गये जिन्हें मिलाकर दिंनाक 31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार कुल 40760 महाविद्यालय हो गये है। जिनमे से 9940 को वि०अ० आ० अधिनियम की धारा 2(च) के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। वि०अ० आ० अधिनियम की धारा 2(ख) के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने योग्य कुल 9940 महाविद्यालयों में से 8201 महाविद्यालय है, जो कुल 40760 महाविद्यालयों का 20% ही है ! धरा 2(च) के तहत मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश (2000), महाराष्ट्र (1266), कर्नाटक (848) और गुजरात (521) है। कुल 711 विश्वविद्यालय में 46 केन्द्रीय, 328 राज्य, 205 राज्य निजी, 128 सम विश्वविद्यालय है जिनमें से राजस्थान (68), उत्तर प्रदेश (64), तमिलनाडु (52) विश्वविद्यालय है, जो कि विश्वविद्यालय का असमान संवितरण प्रदर्शित करता है। शिक्षा सत्र 2014–15 में समस्त पाठ्यक्रमों और नियमित विषय के स्तरों पर कुल नामांकन 265.85 लाख रहा, जिसमें छात्राओं की संख्या 124.76 लाख रही। उत्तर प्रदेश (43.97 लाख) में सर्वाधिक् नामांकन रहा है। कुल 22,849 पी०एच०डी० शोध उपाधियाँ प्रदान की गयी, जिसमें से कला और विज्ञान संकाय में क्रमशः 22849, 7018 शोध उपाधियाँ (पी०एच०डी०) प्रदान की गयी जो कुल उपाधियों का 63.45 प्रतिशत रही।

निष्पक्षता व समावेश

भारत सरकार के प्रयासों द्वारा गत 10 वर्षो में देश की उच्चतर शिक्षा व्यवस्था काफी विकसित हो चुकी है लेकिन शिक्षा के इस स्तर तक समाज के सभी वर्गों की पहुंच सामान रूप से अभी तक नहीं हो पाई है। वर्ष 2004–05 में एन०एस०एस०ओ० द्वारा किए गये 61वें सर्वे के आधार पर निम्न तालिका में असामनतओं की यथा स्तिथि प्रदर्शित की जा रही है–

क्रमांक	उच्चतर शिक्षा में भागीदारी में असामनता	राष्ट्रीय औसत (10.84) के सापेक्ष सकल नामांकन अनुपात की स्थिति
1.	अंतर–प्रदेश	19 राज्यों व सघ शासित प्रदेशों का कम है !
2.	अंतर दृधार्मिक	सभी धर्मो में मुसलमनो का सबसे कम 6.84%
3.	अंतर– जातीय	अनुसूचित जाति (6.52%) ,अनुसूचित जनजाति (6.57%) व अन्य पिछड़ा वर्ग (8.77%)
4.	लिगाधारित	महिला (9.11%), पुरुश (12.42%)
5.	गरीब–अमीर	गरीब (2.41%) व अगरीब (12.81%)
6.	व्यवसायिक समूह	कृषि आधारित मजदूर (1.41%), शहरी कामगार (3.41%)

उच्चतर शिक्षा को समावेशी बनाने के लिए उक्त असमानताओं व असंतुलन पर ग्यारवीं पंचवर्षीय योजना में विशेष ध्यान केन्द्रित कर शैक्षणिक रूप से पिछड़े समुहों (जो किसी भी जाति–श्रेणी/धर्म समुदाय, लिंग–विभेद) हेतु योजनायें तैयार की गयी, साथ ही नेटवर्क में अधिकाधिक लोगो व संगठनों को जोड़े जाने पर ज्यादा बल दिया गया। जातीय, सामाजिक, धार्मिक समानता लाने हेतु दसवीं योजना में की गयी व्यवस्थाओं को जारी रखते हुवे, ग्यारवीं पंचवर्षीय योजना में विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में सामान अवसर केंद्र स्थापित कर योजनाओं से वंचित समूहों को लाभ दिया जाना सुनिश्चित किया गया, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अल्पसंख्यक समुदायों के लिए एक विशेष केंद्र खोले गये और उनके लिए मुफ्त कोचिंग (स्नातक व स्नातोकत्तर स्तर परीक्षा, राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा, सर्विस हेतु परीक्षा आदि) की व्यवस्था की गयी। साथ ही वंचित समूहों के लिए विभिन्न फेलोशिप व छात्रवृत्ति योजना शुरू की गयी जिनकी अद्यतन स्तिथि तालिका 2 में दी गयी है। भारतीय विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में महिला अध्ययन केंद्र स्थापित करने की व्यवस्था सातवीं पंचवर्षीय योजना से जारी है, जिसको ग्यारवीं योजना में भी जारी रखा गया है। शारीरिक रूप से असक्षम (दिव्यांग) लोगो के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना से जारी योजना टी०ई०पी०अस०ई० और एच०ई०पी०एस०ई० को भी जारी रखा गया। आर्थिक रूप से पिछड़ो के लिए शिक्षा ऋण पर पूर्ण ब्याज अनुदान देने की योजना सफल रूप से कार्यन्वित की गयी, जिसमें रु० 4.5 लाख से कम वार्षिक आय वालों को शामिल किया गया।

समाज के हाशिये के जन सामान्य, दबे–कुचले सामाजिक समूहों और आर्थिक –

सामाजिक समूहों की सीमित आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए "परिवर्तित उच्चतर शिक्षा" उनकी पहुच में लाने हेतु संरचनात्मक व व्यवस्थित परिवर्तन की अवयश्कता है। बारहवीं

पंचवर्षीय योजना में महिलाओं के अध्ययन का विकास व क्षमता का निर्माण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछडे वर्गों की भागीदारी बढाने हेतु क्रमशः महिला विश्वविद्यालयों की स्थापना, महिला प्रबंधन योजना, विश्वविद्यालयों में बने योजनान्तर्गत विषय सम्बंधित केन्द्रों को शुरू व शक्तिशाली करने की व्यवस्था की गयी है। साथ ही प्रोद्योगिकी के उपयोग, ऋण सुविधा बढाकर, सभी संकायों के समानता को बढावा देने, शारीरिक रूप से असक्षम लोगो हेतु सुविधा को बढावा देने के लिए, सामुदायिक महाविद्यालयों के माध्यम से व नीतिगत सहायता द्वारा उच्चतर शिक्षा के समावेशित विस्तार का सफल प्रयास किया गया है।

दिनांक 31.032015 तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग /(असम्पन्न वर्ग)/अल्पसंख्यकों हेतु वि०अ०आ० द्वारा अनुशिक्षण योजना तहत 137 राज्य विश्वविद्यालयों को रु० 2195.67 लाख का अनुदान जारी कर योजना प्रभाव के अध्ययन हेतु विशेषज्ञ समिति गठित की और समाज के वंचित वर्ग व शारीरिक रूप से निशक्त अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर पदों में आरक्षण नीति के प्रभावी कार्यन्वयन सुनिश्चित किया! सामान अवसर प्रकोष्ठ (ई०ओ०सी०) योजनान्तर्गत 116 विश्वविद्यालयों को रु० 60.75 लाख का अनुदान जारी किया। निशक्त व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार से सुविधाए उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विशेष शिक्षा में शिक्षकों को तैयार करने (टी०ई०पी०एस०ई०) तथा विशेष आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों हेतु उच्चतर शिक्षा (एच०ई०पी०एस०एन०) योजनान्तर्गत अनुदान जारी किया जा रहा है। सामजिक समावेशन तथा बहिर्वेशन नीति का अध्ययन करने के लिए 35 विश्वविद्यालयों में कार्यरत 35 शिक्षण–सह–शोध केन्द्रों के लिए वर्ष 2014–15 में रु० 777 लाख निर्गत किये गये। उच्चतर शिक्षा में बेहतर लिंग संतुलन स्थापित करने की लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों में 153 महिला अध्ययन केंद्र सुचारू रूप से कार्यरत है।

गुणवत्ता व उत्कृष्टता

विश्व की विकसित व विकासशील सभी तरहा की अर्थ व्यवस्थाए परस्पर अपना वर्चस्व स्थापित करने हेतु अपने समाज को ज्ञान आधारित समाज बनाने की लिए उच्चतर शिक्षा पर ध्यान केन्द्रित किये हुए है। इस स्तिथि में देश की उच्चतर शिक्षा की उत्तमता बहुत ही उच्च कोटि की करने की आवश्यकता है, जो कोई कार्यकलाप नही है, बल्कि सभी स्तरों पर बनाये हुवे स्वस्थ वातावरण का प्रतिफल है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों की भौतिक संरचना, शिक्षकों की संख्या व गुणवत्ता और शैक्षिक गवर्नेंस को प्राथमिकता देते हुये अपने कार्यक्रम को सूचीबद्ध किया, जिसमें संस्थाओं की गुणवत्ता व उत्कृष्टता के प्रति संवेदनशीलता रखते हुये उनकी समय–समय पर मूल्याकं कर शीर्ष स्तर से संस्थागत व्यवस्था और उनकी मान्यता व मूल्यांकन के आधार पर विकास अनुदान निर्गत करने हेतु प्रणाली विकसित की गयी। केंद्र व राज्य सरकार के स्तर पर नियामक व्यवस्था में सुधार हेतु नियामक व संस्थान, संस्थानों के मध्य, शिक्षक, विद्यार्थी और अन्य कर्मचारियों से सम्बंधित सभी विवादों को त्वरित गति से हल करने के लिए शिक्षा न्यायाधिकरण बिल 2010 (3 मई 2010 को संसद में प्रस्तावित), विदेशी शिक्षा संस्थाओं (प्रवेश व संचालन विनियमन) बिल 2010, पारदर्शी

और सूचित बाह्य समीक्षा प्रक्रिया द्वारा उच्चतर शिक्षा में मूल्य निर्धारण और मान्यता एक प्रभावी ढंग है, तदएव उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए उच्चतर शिक्षा संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मान्यता नियामक प्राधिकरण बिल 2010 (3 मई 2010 को संसद में प्रस्तावित), विश्वविद्यालयों, व्यवसायिक शिक्षा संस्थानों व चिकित्सा शिक्षा संस्थानों में अनुचित प्रथा निषेध बिल 2010 (3 मई 2010 को संसद में प्रस्तावित), शोध व उच्चतर शिक्षा बिल 2010 (मंत्री मंडल स्तर पर विचार–विमर्श हेतु लम्बित), मुख्य पांच विधायी प्रस्ताव तैयार किये गये।

महाविद्यालय को स्वयत्ता प्रदान करना, उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को चिन्हित कर सहयता देना व 1983 में मंत्रिमंडल की विज्ञान सलाहकार समिति (एस०ए०सी०सी०) द्वारा की गयी संस्तुतियों को मानते हुये 2002–2003 विज्ञान व प्रोद्योगिकी की संरचना को शक्ति प्रदान करने हेतु समिति (सी०ओ०एस० आइ०एस०टी०) नाम से योजना शुरू की गयी, जो अब (ए०एस०आई०एस०टी०) से सम्बोधित की जाती है। मानविकी व समाजिक विज्ञान की संरचना को शक्ति प्रदान करने हेतु सहायता (ए०एस०आई०एच० एस०एस०) और विशेष सहायक कार्यक्रम (एस०ए०पी०) शुरू किए गये ।

शिक्षकों की गुणवत्ता में वृद्धि करने हेतु संसाधन संग्रहण के लिए प्रोत्साहन, संकाय विकास के लिए प्रतिभाशाली युवाओं को आकर्षित कर उसको बनाये रखना, वेतन समीक्षा समिति के माध्यम से शिक्षकों के लिए अच्छा वेतन व सर्विस अवस्था की समय समय पर समीक्षा, छठे वेतन समिति के अनुसार शिक्षकों के योग्यता सम्बन्धित मानकों की रुपरेखा तैयार करना, संकाय उन्नति कार्यक्रम, यात्रा अनुदान, द्विपक्षीय और शैक्षणिक विनिमय कार्यक्रम, शोध व शिक्षण में उभरते हुवे आपस में सम्बन्धित क्षेत्रों हेतु अभिनव कार्यक्रम, संकाय स्रोतों, शोधकर्ताओं व शिक्षाविदों को विश्वविद्यालय व्यवस्था में बाहर से लाने की व्यवस्था, शिक्षकों की लिए शोध पुरस्कार और शोध व अध्यापन स्रोतों को बढाने के लिए "संकाय पुनर्भरण" संचालन के माध्यम से वि०अ०आ० द्वारा पहल की गयी। शैक्षिक गवर्नेंस हेतु शिक्षकों के लिए लघु व मुख्य शोध परियोजनाए, विश्वविद्यालयों में बेसिक विज्ञान शोध को प्राथमिकता देना, शोध कार्यशालाओं/सेमिनारो/संगोष्ठियां व सम्मेलनों का आयोजन, शैक्षणिक व्यवस्थापकों के लिए प्रिशिक्षण, अंतर विश्वविद्यालय केन्द्रों की स्थापना, आतंरिक गुणवत्ता आस्वासन केंद्र, सूचना संचार प्रोद्योगिकी, वि०अ०आ०– इन्फोनेट कनेक्टिविटी, वि०अ०आ०– इन्फोनेट डिजिटल पुस्तकालय संघ (ई०–पत्रिका योजना), ई–समग्री विकास के साथ साथ ही वि०अ०आ० द्वारा स्वामी परमाँनन्द सरस्वती, हरी आश्रम ट्रस्ट व वेद व्यास संस्कृत नाम से राष्ट्रीय पुरुस्कार उच्चतर शिक्षा हेतु शुरू किये गये साथ ही पोस्ट डाक्टरल डी० एस० कौठारी फ़ेलोशिप, डॉ० राधाकृष्णन पोस्ट डाक्टरल (मानवीयता/समाजिक विज्ञान/भाषा) और जुनिअर रिसर्च फ़ेलोशिप (भारतीयों के लिए) शुरू की।

संस्था स्तर पर शैक्षणिक सुधार गुणवत्ता की उन्नति आवश्यक है। 11वीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत फेज वार क्रेडिट व्यवस्था, छमाही व्यवस्था, सतत और व्यापक मुल्यांकन, विभिन्न कोर्सो के पाठ्यक्रम का अध्यतीकरण, प्रवेश हेतु परीक्षा, मेधावी शिक्षक व शोधकर्ता को पुरस्कृत

करना, शिक्षणदृसीखना प्रणाली में नवीनता लाना आदि उपाय किये गये। वर्ष 2009–2010 में डीम्ड संस्थाओं की समीक्षा उपरांत 44 संस्थाओं को योग्य पाया गया। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के तहत सूचना संचार प्रोद्योगिकी द्वारा पूरे देश में गीगाबाइट क्षमता का उच्च दृगतिय सूचना साझा करने हेतु राष्ट्रयी ज्ञान नेटवर्क स्थापित किया जायेगा जिससे की सभी विश्वविद्यालय, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं, अस्पताल, कृषि संस्थान आदि आपस में सभी तरह की सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत ही सुविधा पूर्वक कर सके।

शैक्षिक अवार्ड् (विद्यालय से स्नातक/परास्नातक तक डिग्री/सर्टिफिकेट्स व व्यवसायी डिग्री) का डेटाबेस बनाने के लिए शैक्षिक निक्षेपागार बिल प्रस्तावित किया जा चुका है। मुक्त व दूरस्थ शिक्षा हेतु देश में एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय और 14 राज्य विश्वविद्यालय कार्यरत है। दिनाक 19 अप्रैल 2010 को कॉपीराइट बिल 1957 में प्रस्तावित संशोधन संसद में लंबित है। वर्ष 2008–09 से राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की संस्तुतियों को मान्यता देते हुये राष्ट्रीय अनुवाद मिशन (एन०टी०एम०) योजना के कार्यान्वयन हेतु भारतीय भाषाओं की केन्द्रीं संस्था, मैसूर (सी०आई०आई०एल०) को नोडल संस्था नियुक्त कर, शुरू की गयी। साथ ही मुख्य निर्णयों के लिए परियोजना अनुमोदन समिति (पी०ए०सी०) बनायी गयी जिसमे विश्वविद्यालयों/विभिन्न भाषाओं व अनुवाद विभागो से विशेषज्ञ रखे गये और किताब विक्रेताओं व पब्लिशर्स हाउस के प्रतिनिधि, प्राइवेट संस्थाओं/कॉर्पोरेट हाउसेस से भाषा अनुवादक भी शामिल किये गये।

दिनाक 8 मई 2009 को संघ मंत्रिमंडल ने कन्नड़ व तेलगु भाषाओं को प्राचीन भाषा उद्घोषित करने का निर्णय लिया। हरियाणा व पश्चिम बंगाल के दो नये परिसरों में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान व चेन्नई और पश्चिम बंगाल में दो नये आदर्श संस्कृत शोध संस्थानों की स्थापना हेतु प्रस्ताव किया गया, साथ ही गर्ली, भोपाल, पूरी और सृंगेरी परिसरों में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान हेतु भवन निर्माण किया गया। भारत सरकार की "बुद्धि–वृद्धि नीति" अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय स्तर को लक्षित करते हुवे 11वीं व 12वीं योजना में केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित 14 नवोन्मेष विश्वविद्यालय के स्थापित किये जाने की व्यवस्था की गयी। वर्तमान में शिक्षकों के व्यवसाय सम्बन्धी विकास हेतु 66 शैक्षिक स्टाफ महाविद्यालय कार्यरत है, जो विश्वविद्यालय व्यवस्था में नये नियुक्त शिक्षकों हेतु चार सप्ताह का विषेश रुपरेखा वाला उन्मुखीकरण कार्यक्रम और पूर्व से कार्यरत शिक्षकों हेतु तीन सप्ताह का पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का आयोजन करता है। जिनको 12वीं पंचवर्षयी योजना में 100 करने का लक्ष्य रखा गया।

बारहवीं पंचवर्षीय में उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता व उत्कृष्टता बढाने हेतु गत पंचवर्षीय योजना के लगभग सभी व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में विश्लेषण कर उनको पूर्णतया लागू करने हेतु यथोचित सुधारात्मक उपायों को अपनाते हुवे योजना अवधि (2012 – 2017) में आने वाले चुनौतियों के निराकरण हेतु नयी योजनाओं के साथ सूचीबद्ध किया गया ।

साथ ही विश्वविद्यालयों में पंचवर्षीय उपाधि वाले पाठ्यकार्यक्रमों का प्रराम्भ, उच्चतर शिक्षा में निजी भागीदारी बढ़ाने के लिए स्पष्ट नीतिगत मानदंड, शिक्षण–सीखना व्यवस्था में प्रोद्योगिकी को जोड़ना, संस्थागत और कार्यक्रमों को अनिवार्य बनाना, समूहबद्ध महाविद्यालयों

वाले विश्वविद्यालयों को विकसित करना, व्यवसाय शैक्षणिक प्रणाली के तहत सार्वजनिक/निजी क्षेत्रों के उपक्रमों के साथ व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेदारी के अंतर्गत मेटा विश्वविद्यालय परिसरों को स्थापित करना, नवरत्न विश्वविद्यालयों की स्थापना आदि नयी व्यवस्थाओं पर बल दिया गया। केन्द्रीय व राज्य विश्वविद्यालयों के एक्ट्स में संरचनात्मक संशोधन, नियामकों के मध्य तालदृमेल प्रभावी करना, नये उच्चतर शिक्षा व्यस्था की आवयश्कता और अधिक व्यवसायिक रूप से संस्थाओं का प्रबंधन व्यवस्था को लचीला करना आदि अच्छे शासन के लिए संरचनात्मक और प्रणालीगत सुधार करने हेतु व्यवस्था की गयी। वि०अ०आ० के एस०ए०पी० हेतु वित्तपोषण के तरीके को उन्नत करना, उच्चतर शिक्षा में पी०पी०पी०मॉडल के अंतर्गत नये मॉडल लाया जाना, राष्ट्रीय संस्थाओं के शोध सम्बन्धी सुविधाओं का अधिकाधिक उपयोग करना, सभी विश्वविद्यालयों में ई–शासन प्रणाली के तहत परीक्षाओं और प्रशासन का स्वतः संचालन के कार्यान्वयन हेतु प्राथमिकता के आधार पर पहल करना मुख्य है ।

दिनाक 31 मार्च 2015 की स्तिथि के अनुसार "उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले महाविद्यालयों" (सी० पी० ई०) योजनान्तर्गत 172 महाविद्यालयों को सी०पी०ई० दर्जा प्राप्त है और 14 महाविद्यालयों को उत्कृष्टता के महाविद्यालय (सी०ई०)' दर्जा प्राप्त है। वर्ष 2014–15 में, इन महाविद्यालयों को रु० 51,93,50,000 /– की राशि निर्गत की गयी, साथ ही 15 चिन्हित महाविद्यालयों को सी०पी०ई० दर्जा प्राप्त करने हेतु वि०अ०आ० द्वारा सहयता प्रदान की गयी। वि०अ०आ० अधिनियम की धारा 2(च) और 12(ख) के अंतर्गत 24 राज्यों के 92 विश्वविद्यालयों के 487 सम्भाव्यता व मान्यता वाले महाविद्यलायों को शैक्षिक रूप से स्वतंत्र करने हेतु स्वायत्ता का दर्जा प्रदान किया और 171 स्वायत्ता महाविद्यालयों को रु० 33.02 करोड़ का अनुदान जारी किया गया। विभागों को प्रोत्साहित कर नवीन नवोन्मेषी शैक्षिक शोध कार्यक्रम आरम्भ करने हेतु सी०पी०ई०पी०ए० योजनान्तर्गत कुल 24 केन्द्रों में से 21 कार्य कर रहे है, इनको जारी रखने की सिफारिश की गयी है। विशेष सहायता कार्यक्रम (एस०ए०पी०) योजना अंतर्गत गत वर्ष की तुलना में कुल 919 विश्वविद्यालयों में से 863 को ही जीव विज्ञान, अभियांत्रिकी तथा प्रोद्योगिकी, मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान सहित विज्ञान के अन्य विभागों में विभिन्न स्तरों पर रु० 31. 26 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गयी विभिन्न विश्वविद्यालयों में कार्यरत मानव संसाधन विकास केंद्र (एच०आर०डी०सी०), क्षेत्रीय क्षमता निर्माण केंद्र(आर० सी० सी० बी०), अकादमिक स्टाफ कॉलेज – (ए० एस०सी०) के लिए रु० 46.87 करोड़ का अनुदान दिया गया। हिंदी को प्रोत्साहित करने हेतु 26 केन्द्रीय/राज्य/सम विश्वविद्यालयों में हिंदी विभागों की स्थापना/उन्नयन करने के लिए अनुदान दिया गया !

वर्ष 2001 में प्रारम्भ विभिन्न अंतरदृविषयक क्षेत्रों में अध्ययन व शोध पर "नये केन्द्रों की स्थापना/उत्कृष्टता के संस्थान" योजना बंद कर दी गयी। 33 देशों के साथ चल रहे द्विपक्षीय विनिमय कार्यक्रमो व विभिन्न देशों के साथ 9 अन्य शिक्षा सहयोग कार्यक्रमों के लिए रु० 64.19 करोड़ व्यय हुवे। अमेरिका में पोस्ट डाक्टोरल शोध हेतु 144 रमन अध्येताव्रत्तियों को अध्येताव्रती दी। 10 राश्ट्रमंडल चिकित्सा अध्योव्रत्ति अवार्डो की राष्ट्रमंडल विश्वविद्यालय संघ,

यूनाइटेड किंगडम ने भारत को सक्षम करने हेतु पेशकश की। विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा केन्द्रों द्वारा आयोजित की गयी 205 सवेंदनशील बनाने /जागरूकता/उत्प्रेरक (एस०ए०एम०), 22 प्रशिक्षकों को प्रिशिक्षण (टी०ओ०टी०), 13 प्रबंधन कौशल संवृद्धि मॉडयूल (एम०एस०ई०एम०) तथा 06 पुनश्चर्या कार्यशालाएं के लिए रु० 9.54 करोड़ का अनुदान निर्गत किया गया।

प्रसांगिक और मूल्य आधारित शिक्षा

जीवन के बहुपक्षीय और बहुसंख्यक क्षेत्रों हेतु शिक्षा एक प्रकार की सामान्य तैयारी है लेकिन युवा सिर्फ प्राय एक ही क्षेत्र मे कार्य और आमदनी पैदा करने पर ही ध्यान केन्द्रित करते है, जो किसी सीमा तक न्यायसंगत भी है। शिक्षा का आजीविका उन्मुखीकरण करने हेतु दसवीं पंचवर्षीय योजना (2006–07) में 39 विश्वविद्यालय और 3086 महाविद्यालय में व्यवसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए रु० 270 करोड़ की विशेष सहायता प्रदान की गयी। क्षेत्र अध्ययन कार्यक्रम अंतर्गत 46 केन्द्रों में से 11 प्रोजेक्ट प्रणाली और 36 केंद्र नियमित आधार पर भारत के साथ घनिष्ठ और सीधे राजनयिक सम्बन्ध रखने वाले क्षेत्रों के सामाजिक, राजनितिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मामलों का अध्ययन करते है। "भारत के युग निर्माता सामाजिक विचारक" पर विषेश अध्ययन योजनान्तर्गत 191 केंद्र स्थापित किये जा चुके है जिनमें 61 गाँधी, 55 अम्बेडकर, 6 औरोबिन्दो, 1 के० आर० नारायणन, 2 स्वामी विवेकानंद, 2 जाकिर हुसैन, 3 गुरु नानक देव, 1 इंदिरा गाँधी, 32 बुद्धिष्ठ और 28 नेहरु अध्ययन केंद्र कार्यरत है वि०अ०आ० द्वारा जनसँख्या और शिक्षा विकास सम्बन्धित यू०एन०एफ़०पी०ए० परियोजना, समाज और शिक्षा संस्थाओं के मध्य सामंजस्य विकास व शोध क्रियाओं को बढ़ाने हेतु शिक्षा में मानवता अधिकार और मूल्यों (एच०आर०वी०ई०) कार्यक्रम और मानव मूल्य और नैतिकता में वृद्धि योजना कार्यन्वित की गयी।

निष्कर्ष

वर्ष 2002 में दक्षिण एशिया के समाजिक विज्ञान शोध क्षमता अध्ययन सम्बंधित सामाजिक और राजनीति साप्ताहिकी में छपे विशेष लेख के अनुसार भारतीय विश्वविद्यलयों की भागीदारी 25% ही है। भारत की उच्चतर शिक्षा व्यवस्था दुनिया की संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बाद दूसरी सब से बड़ी व्यवस्था है, फिर भी प्रासंगिक आयु वर्ग (18–23 वर्ष) के मुश्किल से कुल 6 प्रतिशत विद्यार्थी ही है, जबकि अन्य विकसित देशों में यह प्रतिशत 47% है। 13 जून 2005 को भारत सरकार ने प्रधानमंत्री को उच्चतर शिक्षा से सम्बन्धित दशा और आवश्यक सुधारों के सम्बन्ध में सलाह देने के लिए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन किया। जिसकी वर्ष 2007 में आयी रिपोर्ट में वर्ष 2015 तक सकल नामांकन अनुपात को 15% तक ले जाने हेतु 1500 नये विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा में गुणवत्ता सुधारों को मॉनिटर करने के लिए स्वावलंबी नियामक प्राधिकरण (आई०आर०ए०अह०एच०ई०) की स्थापना करने को प्रस्तावित किया गया।

वर्ष 1950–51 से वर्ष 2014–15 तक उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में उपाधि प्रदान करने वाले विश्वविद्यालयों/संस्थानों के सन्दर्भ में 24.7 गुना वृद्धि के साथ संख्या 40 गुना, महाविद्यालयों की संख्या में 58 गुना वृद्धि के साथ संख्या 82 गुना, छात्र नामांकन में 67 गुना वृद्धि के साथ संख्या 127 गुना हो चुकी है तथा शिक्षकों की संख्या में 52 गुना वृद्धि दर्ज की गई। वर्तमान में

कार्यरत विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों की प्रवेश पाने की क्षमता को पूर्ण रूप से उपयोग में लाकर और बढाकर सकल नामांकन अनुपात की वृद्धि करना ज्यादा फायदेमंद होगा। क्षमता बढ़ाने व विस्तार करने हेतु छात्रावास, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालयों, शिक्षकों व कर्मचारियों के रहने की व्यवस्था आदि मूलभूत सरचनाओं की आवश्यकता होगी जिसको पूरा करने में विश्वविद्यालयों शैक्षिक तन्त्र के प्रतिरोध, प्रक्रियात्मक व नौकरशाही स्तर पर विलम्ब और विभिन्न स्तरों पर सरकारी हस्तक्षेपों के कारण नई रुढीवादी प्रासंगिकता कार्यक्रमों के पहल में कमी है, साथ ही उपलब्ध क्षमता को पूर्ण रूप से उपयोग में लाने हेतु छात्रों के प्रवेश के विषय में विश्वविद्यालय की अपरिवर्तनवादी व्यवहार बड़ी समस्याए है, जिनको ससमय संबोधित कर न्यायोचित निर्णय लेना आवश्ययक है।

विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षण संकायों की संख्या वर्ष 2015 में 21.13% की वृद्धि हो गई है। 12.61 लाख शिक्षकों में से 84.66 प्रतिशत शिक्षक महाविद्यालयों में थे शेष 15.34 प्रतिशत विश्वविद्यालयों में थे। महाविद्यालयों पर प्रवेश देने हेतु बहुत दबाव है लेकिन संरचना, जगह, शिक्षक की कमी के कारण के वो अपनी उपयोगिता पूर्ण रुपेंण सिद्ध नही कर पा रहे है। विज्ञान व प्रोद्योगिकी विषयों के लिए शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात 1:15 और सामाजिक विज्ञान, मानवीयता, प्रबंधन व कला विषयों के लिए 1:20 का अनुपात करने हेतु काफी शिक्षकों की आव्श्यकता है। विश्वविद्यालय स्तर के संस्थान (केन्द्रीय, राज्य, निजी, डीम्ड) देश के सभी प्रदेशों व संघ चालित राज्यों में सामान रूप से वितरित नही है। महाविद्यालयों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से देखने पर औसतन देश भर में एक विकसित विकास खंड में 2 महाविद्यालय है। देश भर में सिर्फ 2 राज्य ऐसे है जिनमें प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 20 महाविद्यालय है वही 10 राज्यों में यह अनुपात 5 महाविद्यलयों से भी कम है और गांवों, आदिवासी क्षेत्रो से न्यायसंगत दूरी पर महाविद्यालय भी नही है। इन्ही कारणों से उच्चतर शिक्षा में कुल प्रवेश में नामांकन अनुपात का देश के विभिन्न प्रदेशों में 1 प्रतिशत से लेकर 33.7 प्रतिशत तक है। आकर व गुणवत्ता की दृष्टि से महविद्यालयों का परस्पर आकलन करने पर संतोषजनक परिणाम प्राप्त नही होते है। बहुत सारे ऐसे उद्हारण है जिनमें बहुत सारे महाविद्यालय (890 महाविद्यालय) एक ही विश्वविद्यालय से सम्बंधित है जिससे उनके गवर्नेंस और गुणवत्ता में बुरा प्रभाव पड़ता है, जो चिंता का विषय है। ग्यारवीं और बहारवीं पंचवर्षीय योजना में क्रमशः हो चुकी व हो रही उपलब्धियों के उपरान्त भी ये समस्यायें अभी भी है इनको को जल्द जल्द से हल करने हेतु तरीके निकालने चाहिए !

राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन (एन०एस०एफ़०) द्वारा जारी विज्ञान व प्रोद्योगिकी सुचकांक (2002) में उच्चतर शिक्षा में विज्ञान व इंजीनियरिंग में नामांकित स्नातको में से संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में 4% ने अपनी डाक्टरल उपाधि पूरी की, यूरोप में यह आकंडा 7% रहा जबकि भारत में कुल 0.4% ही रहा। जिसको बढ़ाने हेतु ६ वी० पंच–वर्षीय योजना से 12वीं पंचवर्षीय योजना तक विभिन्न फ़ेलोशिप योजनाए शुरू की गयी जो सफलता पूर्वक कार्यन्वित की जा रही है ! उक्त वर्तमान सूचकांक (2016) के अनुसार वर्ष 2013 में वैश्विक स्तर पर कुल शोध व विकास

पर खर्च में 50% की भागीदारी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और चीन की ही है, 10% जापान, 6% के साथ जर्मनी और दक्षिण कोरिया, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम, भारत की भागीदारी 2–4% है जो की संतोषजंक नही है इस सम्बन्ध में सतत और सार्थक प्रयासों की आवश्यकता है !

वर्तमान में कार्यरत विश्वविद्यालयों / महाविद्यालायों की प्रवेश क्षमताओं को बढ़ाने हेतु यू०जी०सी० एक्ट में संशोधन किया गया और उच्चतर षिक्षा में प्रभावी वित्त पोषण को लागू किया गया। जिसके अंतर्गत सरकारी / सरकार द्वारा सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में से 20,000 महविद्यालयों को वि०अ०आ० अधिनियम की धारा 12(बी०) अंतर्गत आयोग द्वारा वित्त पोषित करने का लक्ष्य निर्धारित कर, उनकी धारण क्षमता में 12वीं पंचवर्षीय योजना अंतर्गत 50% की वृद्धि की जा सके। सभी कार्यरत महाविद्यालयों को 12(बी०) के अंतर्गत लाने का प्रयास किया जाना चाहिए जिससे की गुणवत्ता के स्तर में आ रही वित्तीय समस्याओं को आसानी से हल किया जा सके ।

11वीं पंचवर्षीय योजना में बहुत सारी नई पहल की गयी थी,जो कि आलोच्य अवधि में पुरी हो जानी चाहिए थी लेकिन उनमें से कुछ तो शुरू भी नही की जा सकी जिस कारण योजना अवधि के अंत तक उच्चतर शिक्षा का जो स्तर प्राप्त हो जाना चाहिए था नही हो पाया। भविष्य में लक्ष्य प्रप्ति की समय सीमा का बहुत ही कड़ाई से पालन किया जाना चाहिये। उच्चतर शिक्षा के विस्तार में पिछले दो दशकों में निजी क्षेत्र का काफी योगदान रहा है, विशेष कर व्यवसायिक और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में जिस सम्बन्ध में समाज के दो मत है एक मत निजी क्षेत्र की भागीदारी को शिक्षा की गुणवत्ता अन्तराष्ट्रीय स्तर तक ले जाने के लिए आवश्यक मानता है, वहीं दूसरा मत इसका विरोध करता है। लेकिन यदि भारत को वैश्विक आर्थिक शक्तिकेंद्र बनना है तो उच्चतर शिक्षा को पोषित करने की बहुत आवश्यकता है जिसके लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी का मॉडल सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। 21वीं शताब्दी सूचना संचार प्रोद्योगिकी(आइ०सी० टी०) की शताब्दी है, शिक्षा में (आइ०सी० टी०) महत्ता को भी अनदेखा नही किया जा सकता इस दिशा में लक्ष्य काफी बड़े है जिनको प्राप्त करने हेतु सतत प्रयासों की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय नमूना सर्वे ने अपनी रिपोर्ट द्वारा नामांकन और उपस्थिति के अंतर पर ध्यान केंद्रित करने पर बल दिया है, महाविद्यालयों में उपस्थिति, छात्रों के व्यक्तित्व के विकास हेतु बहुत ही महत्तवपूर्ण है। दिनाक 12–13 सितम्बर 2014 को चंडीगढ़ में आयोजित केन्द्रीय विश्वविद्यालय के कुलपतियों के दो दिवसीय सम्पन्न समारोह में नेशनल रैकिंग प्रणाली के ढांचे हेतु विकास करने के लिए गठित समूह ने अपनी पहली रैकिंग जारी कर दी है, उद्योग परिषद उच्चतर शिक्षा सहयोग को आरम्भ किये जाने, कौशल उत्कृष्टता के 100 केन्द्रों की स्थापना, सामान्य प्रवेश, सामान्य परिपत्र, छात्रों का स्थानांतरण, संकाय का स्थानांनतरण, क्रेडिट अंतरण की प्रणाली, शैक्षिक नेटवर्क हेतु वैश्विक पहल (जी०आइ०ए०एन०), एमओ०ओ०सी० प्लेटफार्म के माध्यम से एस०डब्लू०यू०ए०वाए०एम० (स्टडी वेब ऑफ़ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइड) की डिजिटल इंडिया पहल, वाई० फाई० सक्षमकारी उच्चतर शिक्षा सुनिश्चित करने के

लिए "राष्ट्रीय अर्हता" आरम्भ, कैंपस कनेक्ट कार्यक्रम हेतु एक कार्य समहू का गठन किया गया, जो उक्त सम्बंधित मुद्दों पर भविष्य के लिए दिशानिर्देश जारी करेगा।

शोध तथा नवोन्मेष हेतु वातावरण तैयार करने हेतु कदम उठाना, संकाय की क्षमता विकास, पूर्व छात्रों की भागीदारी तथा प्रोद्योगिकी का उपयोग, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का समुदाय के साथ भागीदरी को और अधिक व्यापक बनना, गुणवत्तायुक्त शिक्षा हेतु अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय नेटवर्क स्थापित करना तथा चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली को अंगीकार करना सम्बन्धी विषयों पर दिनाक 4–5 फरवरी 2016 को केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के राष्ट्रपति भवन में सम्पन्न सम्मेलन में विस्तृत सिफ़ारिशों को अंगीकार किया।

तालिका 1

क्रम संख्या	रिपोर्ट का नाम
1.	राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (2006–2009)
2.	उच्चतर षिक्षा का नवीकरण और काया कल्प पर सलाहकार समिति, 2008
3.	राश्ट्रीय नमूना सर्वे (एन०एस०एस०) 61वां (2004–05) और 64 वां (2007–08) राउंड्स
4.	भारतीय उच्चतर शिक्षा, वि० अ० आ०, 2008
5.	वि० अ० आ० की वार्षिक रिपोर्ट, 2009–10
6.	प्रवेश, समानता और गुणवत्ता पर टास्क फोर्स, 2011
7.	वि० अ० आ० की सम्बद्धता सुधार समिति, 2011
8.	योजना आयोग का नीतिगत दस्तावेज १२ वीं पंचवर्षीय योजना की तरफ
9	वि०अ०आ० का 12वीं पंचवर्षीय योजना हेतु प्रस्ताव लेख, 2011
10.	केन्द्रीय व राज्य विश्वविद्यलयों के कुलपतियो के सम्मेलन का कार्यव्रत, 2011
11.	उच्चतर शिक्षा में अनुसूचित जाति के भागीदारी बढ़ाने हेतु चल रही योजनाओं की समीक्षा से सम्बन्धित . वि० अ० आ० की समिति, 2011
12.	उच्चतर शिक्षा में अनुसूचित जनजाति के भागीदारी बढ़ाने हेतु चल रही योजनाओं की समीक्षा से सम्बन्धित . वि० अ० आ० की समिति, 2011
13.	उच्चतर शिक्षा में अल्पसंख्यकों की भागीदारी बढ़ाने हेतु चल रही योजनाओं की समीक्षा से सम्बन्धित, वि० अ० आ० की समिति, 2011

तालिका 2

उच्चतर शिक्षा को समावेषित व निष्पक्ष बनाने हेतु ग्यारवी पंचवर्षीय योजना में शुरू की गयी योजनाओं की अद्यतन स्थिति

क्रमांक	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजना	कार्यान्वयन की प्रगति
1.	उच्चतर शिक्षा में महिला प्रबंधको के क्षमता निर्माण	आवासीय अधीन 68 विश्विदयालायों और ७६ महाविद्यालयो (संवेदीकरण/जागरूकता/प्रेरणा) एस०ए०एम०और आवासीय अधीन 15 विश्वविद्यालयों और 25 महाविद्यालयो एस०ए०एम० केंद्र अनुमोदित
2.	अनु०जाति/अनु०जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक हेतू ई०ओ०सी० केन्द्रों की स्थापना	विभिन्न विश्वविद्यलयो और 1,598 महाविद्यलयों वर्तमान में 128 ई०ओ०सी० कार्यरत
3.	महिलाओ के लिए पोस्ट डाक्टरल फेलोशिप	वर्ष 2008–09 में 85 उम्मीदवार चयनित वर्ष 2009–10 व 2010–11 हेतू प्रस्ताव विचाराधीन
4.	अनु०जाति/अनु०जनजाति के लिए पोस्ट डाक्टरल फेलोशिप	291 उम्मीदवार चयनित
5.	उच्चतर व व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करने हेतु इंदिरा गाँधी छात्रव्रति एकलौती बालिका शिशु	कुल 3,938 एकलौती बालिका शिश लाभान्वित हो चुकी है .
6.	अनु०जाति/अनु०जनजाति के लिए राजीव गाँधी राष्ट्रीय फेलोशिप	कुल ४,४०१ और २,३०६ अनु०जाति व अनु०जनजाति के उम्मीदवार चयनित
7.	अनु०जाति/अनु०जनजाति के लिए व्यवसायिक कोर्स में स्नात्कोतर छात्रवृति	1363 उम्मीदवार चयनित
8.	अल्पसंख्यको के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय फेल्लोवोशिप	कुल 2,266 उम्मीदवार चयनित
9.	समाजिक बहिष्कार और समावेशी नीति के लिए अध्ययन केंद्र	35 विश्विदयालायों में केंद्र स्थापित

सन्दर्भ

1. *Higher Education In India*, Issues, Concerns And New Directions Recommendations of Ugc Golden Jubilee Seminars Dec& 2003.
2. *Higher Education In India – Issues,Challenges And Suggestions* By Dr- J D Singh-
3. *Inclusive And Qualitative, Expansion of Higher Education*, 12th Five&Year Plan, 2012 & 17.
4. *Strategies And Schemes During Eleventh Plan Period* (2007 & 2012) For Universities And Colleges.
5. *Annual Report of UGC 2014&15.*
6. *Report of The Working Group On Higher Education For The Xii Five Year Plan, Ministry of Human Resource Development*, Department of Higher Educatioin, September 2011.
7. *Science And Engineering Indicators* 2016 By National Science Board, National Science Foundation.

8. *Science And Engineering Indicators* 2002 By National Science Board, National Science Foundation.
9. *National Sample Survey 61**St Round 2004 & 05, Government of India.
10. *National Sample Survey 68**St Round 2008 & 09, Government of India.